अध्याय VI: उर्वरक मंत्रालय

मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड तथा दि फर्टिलाईजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

6.1 उर्वरक कम्पनियों के उत्पादों का विपणन

प्रस्तावना

6.1.1 दि फर्टिलाईजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी) सितम्बर 1943 में एक निजी लिमिटेड कम्पनी के रूप में समावेशित हुई थी। इसने 1947 में उत्पादन शुरू किया तथा 1962 में एक सरकारी कम्पनी बन गई। 31 मार्च 2016 को इसकी प्रदत्त पूँजी ₹ 647.07 करोड़ थी। एफएसीटी मुख्य रूप से अमोनियम सल्फेट तथा जटिल उर्वरक का ''फैक्टामफोस'' ब्राण्ड नाम के अन्तर्गत उत्पादन करती है।

मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, मनाली (एमएफएल) दिसम्बर 1996 में भारत सरकार (जीओआई) तथा एएमओसीओ भारत इंक., यूएसए के समावेशन के मध्य एक संयुक्त उद्यम के रूप में समाविष्ट हुई थी। एएमओसीओ द्वारा शेयरों के विनिवेश के बाद, 31 मार्च 2015 को प्रदत्त पूँजी ₹ 162.14 करोड़ थी। एमएफएल मुख्यतः यूरिया तथा जटिल उर्वरक का 'विजय' ब्रांड नाम के अन्तर्गत उत्पादन करता है।

6.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड तथा क्षेत्र तथा कार्य प्रणाली

उत्पादों के विपणन की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए संचालित की गई थी कि (क) उर्वरकों की विपणन गतिविधियां दक्षता से कार्यान्वित की जा रही हैं (ख) व्यापारियों की नियुक्ति, गोदाम/भंडारों को किराए पर लेने, परिवाहकों, रेल शीर्षों का संचालन इत्यादि की प्रणाली पारदर्शी, उचित तथा सुदृढ वाणिज्यिक सिद्धातों के अनुसार है, (ग) कम्पनियों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र तैयार उत्पादों के परिवहन गोदामों को किराए पर लेने, रेलहेड परिवहन इत्यादि में प्रभावी थे, तथा (घ) कम्पनियों ने दिशानिर्देशों के अनुसार सब्सिडी का समय पर दावा किया तथा उसकी प्राप्ति की।

लेखापरीक्षा के लिए मापदंड उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1973/1985, उर्वरक नीति, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निविदापर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तथा सहायता पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रावधानो से बना है।

6.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

कम्पनियों द्वारा उर्वरक उत्पादों के विपणन तथा उनकी उत्पादन गतिविधि जहां कहीं भी सुसंगत हो के निष्पादन की अनुवर्त्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

6.1.3.1 विपणन में कम्पनियों का निष्पादन

एफएसीटी तथा एमएफएल ने अलग-अलग संयंत्रों की उत्पादन क्षमता, पिछले वर्षों के निष्पादन इत्यादि के आधार पर लेखापरीक्षा की अवधि अर्थात 2012-13 से 2014-15 के दौरान फैक्टामफोस तथा अमोनियम सल्फेट (एफएसीटी) तथा यूरिया तथा जटिल खादों (एमएफएल) के उत्पादन के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (जीओआई) के साथ समझौता ज्ञापन किया। समझौता ज्ञापन के अनुसार उत्पादन/बिक्री और पिछले तीन वर्षों के लिए इन उत्पादों के संबंध में वास्तविक उत्पादन और बिक्री के लिए लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

यूरिया तथा एनपीके का एमओयू लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन/बिक्री

(एमटी लाख में)

कम्पनी का नाम	**उत्पाद का नाम**	**अवधि**	**एमओयू लक्ष्य (उत्पादन/ बिक्री)**	**उत्पादन**	**बिक्री**
एफएसीटी	फैक्टामफोस	2012-13	6.80	5.40	5.52
		2013-14	6.80	6.57	6.54
		2014-15	6.80	5.98	6.22
	अमोनियम सल्फेट	2012-13	1.80	1.26	1.35
		2013-14	1.70	1.79	1.66
		2014-15	1.80	1.20	1.11
एमएफएल	यूरिया	2012-13	4.70	4.36	4.24
		2013-14	4.70	4.87	5.00
		2014-15	4.80	3.29	3.26
	एनपीके	2012-13	4.04	1.00	1.02
		2013-14	3.02	0.45	0.45
		2014-15	0.45	0.74	0.74

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- एफएसीटी द्वारा 2012-13 के दौरान बिक्री लक्ष्यों की प्राप्ती न कर पाने के कारणों में से एक तदरूप वर्षों में उत्पादन लक्ष्यों की गैर उपलब्धि था। उत्पादन लक्ष्यों के प्राप्त न कर पाने के लिए कारण, कच्चे माल की कमी की वजह से संयंत्रों का सविराम काम बन्द करना तथा संयंत्रों का खराब हो जाना थे। आगे, एमओयू के अनुसार उत्पादन तथा बिक्री लक्ष्य की गैर-उपलब्धि, कम्पनी के लिए बैंकरों द्वारा प्रतिकूल क्रेडिट रेटिंग दिए जाने का एक कारण था तथा उसके बाद कम्पनी द्वारा प्राप्त नकद ऋण सुविधाओं पर उच्च ब्याज दर प्रभारित करना था।
- एमएफएल के मामले में, बिक्री लक्ष्य यूरिया के लिए केवल 2013-14 तथा एनपीके के लिए 2014-15 में पूरे किए जा सके थे। कम्पनी द्वारा 2014-15 में बहुत कम लक्ष्य नियत करने के कारण एनपीके लक्ष्य प्राप्त किए गए थे। कंपनी ने फीडस्टॉक के रूप में नाफ्था के साथ बंदी अमोनिया से नाइट्रोजन का उपयोग करके महंगे जटिल उर्वरक (एनपीके) के उत्पादन को बंद करने का सचेत निर्णय लिया, क्योकि सरकार ने अप्रैल 2012 के बाद पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के तहत एनपीके उर्वरक के लिए अतिरिक्त सब्सिडी जारी करना बंद कर दिया था। लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि के लिए कारणों में से एक उत्पादन लक्ष्य की गैर-उपलब्धि, कच्चे माल की कमी के कारण संयंत्रों का सविराम काम बंद करना, संयंत्रों का खराब होना तथा केप्टिव अमोनिया के उत्पादन के अभाव के कारण थे।

6.1.3.2 विपणन ठेकों का प्रबंधन

(क) तदर्थ आधार पर/निविदा का बिना ठेकों के दिया जाना (एफएसीटी)

कम्पनी रेलहेड प्रहस्तन तथा परिवहन के लिए तदर्थ ठेके दे रही है; तथा निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना स्थायी गोदामों को किराए पर ले रही है।

पिछले तीन वर्षों के लिए केरल तथा कर्नाटक राज्यों में रेलहेड[1] ठेकों की लेखापरीक्षा समीक्षा इंगित करती है कि:

---

[1] ***रेलशीर्ष ठेके के अन्तर्गत कार्य के क्षेत्र में आरएच स्थान पर वैगनों से थैले में भरे हुए उत्पादों की निकासी (जैसे खाद, जिप्सम या कोई सामग्री), रेलवे प्लेटफार्म पर माल उतराई (यदि आवश्यक हो) तथा अपेक्षित गंतव्यों के लिए आगे जाने के लिए ट्रकों/लारी में माल का लदान तथा ट्रक/लारी में रखे थैले में भरे हुए उत्पादों का ठेकेदार द्वारा रेलशीर्ष से गोदामों/स्टाक बिन्दु व्यापारियों तथा एएससी तक परिवहन सम्मिलित है।***

- कम्पनी के कायामकुलम (अगस्त 2012 से 18 अगस्त 2013, 19 फरवरी 2014 से 19 मार्च 2014 और 28 नवम्बर 2014 से अब तक), पल्लकाड (अप्रैल 2013 से सितम्बर 2013), कालीकट (जनवरी 2015 से अब तक), त्रिशूर (जनवरी 2015 से अब तक) और शिमोगा (कभी भी स्थाई ठेके में शामिल नहीं हुआ) में खुली निविदा द्वारा स्थाई ठेके को अंतिम रूप नहीं दिया। कम्पनी ने तदर्थ ठेकों (सीमित निविदाकरण द्वारा ठेकों में शामिल हुई) द्वारा रेलहैड गतिविधियां की।
- कम्पनी केरल में स्थाई रेलहैड ठेकों को अंतिम रूप नहीं दे सकी क्योंकि कम्पनी द्वारा तीन खुली निविदाओं (अगस्त 2011, सितम्बर 2012 और जुलाई 2014 में कार्यान्वित) में बोलीदाता द्वारा उद्धृत उच्चतर दरों को लागू किया गया। दूसरी और तीसरी निविदा में उच्चतर दरें प्राप्त होने का कारण निविदा शर्तों में कमी खंड[1] को जोड़ना था। शिमोगा के मामले में, बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें उच्चतर स्तर पर पाई गई थी और बोलीदाता ने उनके प्रस्ताव की वैधता का विस्तार नहीं किया जिसके कारण बोलीदाता के साथ मध्यस्थता नहीं की जा सकी।

गोदामों को किराये पर लेने से स्थाई रेलहैड ठेकों/गैर-निविदाकरण को अंतिम रूप न देने के कारण प्रक्रियाओं की पारदर्शिता में कमी आई और गोदामों के लिए दरों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

कम्पनी सहमत हो गई कि स्थाई रेलहैड ठेकों का तदर्थ ठेकों पर उच्चतर दरों का पूर्व में भुगतान न कर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। सामग्री विभाग रेलहैड के लिए निविदाओं का प्रसंस्करण कर रहा है और जब भी दरें ऊंची होती है और तर्कसंगत नहीं होती, ठेकों को अंतिम रूप देने में विलम्ब होता है और उत्पाद को हटाने के लिए तदर्थ ठेके किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी सामान्य निविदाकरण प्रक्रिया को स्वीकार किये बिना स्थाई गोदामों को किराये पर ले रही थी और गोदाम के मालिक के साथ मध्यस्थता के बाद नवीकृत दरों पर मौजूदा समझौता अवधि के अंत में गोदामों के किराये पर लेने के लिए समझौतों का नवीकरण कर रही थी। कम्पनी द्वारा गोदामों (स्थाई और अस्थाई) के लिए किए गए ठेकों का मूल्य ₹ 1.32 करोड़ (2012-13), ₹ 0.92 करोड़ (2013-14) और 2014-15 में ₹ 0.81 करोड़ था।

---

[1] ***ठेकेदार से बकाया/बिलों से आरएच प्राप्त करने पर रेलवे प्राप्ति मात्रा और प्राप्ति पर सुपुर्द मात्रा के बीच पाई गई कमी की लागत का वसूली का खंड***

कम्पनी ने कहा कि सामग्री विभाग निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार स्थाई गोदाम किराये पर लेने के लिए निविदाओं के तीव्र प्रसंस्करण के लिए प्रयास कर रहा था।

कम्पनी का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि निविदाकरण आधार पर गोदामों को किराये पर लेने के लिए उप महा प्रबंधक (विपणन) के आदेशों (22 जुलाई 2014) के बावजूद, कम्पनी ने प्रक्रिया को नहीं अपनाया था (फरवरी 2016)।

(ख) पुन: निविदाकरण के बिना एकल निविदा आधार पर ठेके देना

सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एकल निविदा केवल अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाओं और आपातकाल या पुनरावृत्ति की गई निविदाओं की कोई बोली नहीं थी या जहां माल के संबंध में केवल एक आपूर्तिकर्ता को खरीद के लिए लाइसेंस (स्वामीत्व वाले मद) दिया गया था; के अंतर्गत मानी जाएगी। यद्यपि, एमएफएल ने केवल तकनीकी रूप से योग्य एकल बोली के मामलों में पुन: निविदाकरण को नहीं माना और एकल बोलीदाता को 2012-13 और 2013-14 की अवधि के दौरान बीएंडएस[1] ठेके सौंपे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 2012-13 के दौरान, मजदूरों के भुगतान करने के लिए ठेकेदार की वित्तीय क्षमता को सुनिश्चित करने के मद्देनजर ठेकों में दो नई शर्तें[2] जोड़ी गई थी। तथापि, प्राप्त की गई दो बोलियों में से, मौजूदा ठेकेदार, जो मजदूरों के भुगतान करने में पहले भी अनियमित था, योग्य बोलीदाता था और ठेका उसे दिया गया था। इसके कारण सीवीसी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने के अतिरिक्त ठेके में नई शर्तों को जोड़ने का उद्देश्य भी परास्त हो गया।
- 2013-14 की अवधि के दौरान, यद्यपि निविदा तीन वर्षों की विनिर्दिष्ट अवधि की शर्त दर्शाता है, ठेका ट्रायल आधार पर गैरअनुभवी एकल बोलीदाता को दे दिया गया था। यद्यपि ठेकेदार का निष्पादन संतोषजनक[3] नहीं पाया गया था फिर भी कम्पनी ने ट्रायल अवधि में निविदा अपनाने की अपेक्षा 31 अक्तूबर 2013 तक

---

[1] बैगिंग, खोलना, प्रहस्तन और शिपिंग प्रचालन

[2] जैसे, क्रमश: (पूर्व में, एसटी, इएसआई, और पीएफ के लिए केवल संख्या बताना आवश्यक था) फॉर्म एसटी3, फॉर्म 5 और फॉर्म 6ए और 3 वर्षों के लिए ₹ 2.00 करोड़ के टर्नओवर में 3 वर्षों हेतु सेवाकर और ईएसआई और पीएफ रिटर्न का प्रस्तुतीकरण

[3] कामगार/मजदूरों की आवश्यक सं. की गैर आपूर्ति के कारण कामगार/मजदूरों की भुगतान समस्या और विलंबित रिपोर्टिंग के कारण कार्य को रोकना, जिसके कारण संयंत्र भी बंद कर दिया गया।

ठेके को आगे बढ़ा दिया। निविदा शर्तों के अनुसार बोली के मूल्यांकन हेतु अनुभव पर जोर देते हुए विधिक विचार की भी निविदा देते समय अनदेखी की गई थी।

(ग) पश्च निविदा मध्यस्थता (एमएफएल)

सीवीसी अनुदेशों (जनवरी 2010) के अनुसार विशेष अपवादात्मक स्थिति को छोड़कर एल1 के साथ कोई पश्च निविदा मध्यस्थता नहीं की जानी चाहिए। पश्च निविदा मध्यस्थता की सहायता लेने से बोलियों के प्रस्तुतीकरण के समय पर अधिकतम प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव की प्राप्ति को रोका जा सकता है। कम्पनी ने विभिन्न डीलर्स से रेलहैड से उर्वरक परिवहन में अनुभव वाले योग्य ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित कर अलग से परिवहन और वेयर हाऊसिंग ठेकेदारों को नियुक्त किया। 2012-13 में 35 स्थानों, 2013-14 में 20 स्थानों और 2014-15 में 43 स्थानों के लिए सौंपे गये रेल ठेकों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कम्पनी ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 हेतु सभी और वर्ष 2014-15 हेतु ठेकों के 79 *प्रतिशत* ठेकों में एल1 के साथ मध्यस्थता की जैसाकि निचे दर्शाया गया है।

वर्ष	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
दिय गये ठेकों की कुल सं.	35	20	43
ठेके जहाँ एल1 के साथ मध्यस्थता की गई	35	20	34

प्रत्येक मूल्यांकन प्रक्रिया अपवादात्मक स्थिति नहीं होगी और इसलिए लगभग प्रत्येक स्थिति में एल1 ठेकेदारों के साथ मध्यस्थता करना सीवीसी दिशा-निर्देशों के विरूद्ध था।

(घ) कुछ स्थानों के लिए ठेकों का अभाव (एमएफएल)

कम्पनी के पास 57 रेल हैड स्थान थे। तथापि, प्रत्येक वर्ष सभी स्थानों को कवर करते हुए ठेके नहीं दिये गये थे। कम्पनी के खरीद मैन्यूल किसी विशेष नियम नहीं दर्शाते सिवाय इसके कि ठेके पूर्व ठेके की समाप्ति के तीन सप्ताह में दिये जाने चाहिए। 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान, कम्पनी क्रमश: 24, 39 और 15 स्थानों हेतु किसी ठेके में शामिल नहीं हुई। ऐसे आरएच स्थानों के लिए ठेकों के अभाव में, जिलो/डीलरों हेतु आपूर्ति संयंत्र से निकटतम आरएच स्थान या सड़क संचलन से की गई थी। सड़क संचलन में वसूली के अंतर्गत यह अपरिहार्य अतिरिक्त व्यय रेल हैड सचलन चालन की अपेक्षा उच्चतर था। हालाकि अतिरिक्त व्यय की मात्रा लिखापरिक्षा में निर्धारित नहीं की जा सकी।

कम्पनी ने कहा (अगस्त 2015) कि ठेके को अंतिम रूप देने के लिए चार महीनों की आवश्यकता है, इसलिए, ठेके को सभी स्थानों पर समय पर अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाएगा कि कम्पनी के पास मौजूदा ठेकों हेतु समय सीमाओं की जानकारी थी और उनकी समयावधि समाप्त होने से पहले निविदा प्रक्रिया को आरंभ किया जाना चाहिए था ताकि अगले ठेके को बिना किसी विलम्ब के अंतिम रूप दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, जब तक कि ठेकों के संचालनों को किफायती बनाने के लिए अंतिम रूप नहीं दिया गया था, तब तक अधिक दूर वाले रेलहैड से जिलों को बांटकर उच्चतर लागत व्यय करने के अवसरों से नकारा नहीं जा सकता।

(ड.) स्टीवडोरींग ठेकों के अंतिम रूप देने में विलम्ब (एमएफएल)

2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा में एमएफएल द्वारा दिये गये स्टीवडोरिंग ठेकों की एक समीक्षा ने निम्नलिखित दर्शाया:

(i) 2012-13 के लिए स्टीवडोरिंग ठेके के लिए निविदा प्रक्रिया जुलाई 2012 में प्रारंभ की गई और चार महीनों से अधिक के विलम्ब के बाद दिसम्बर 2012 में एसआईसीएएल को ठेका सौंपा गया था।

(ii) 2013-14 के लिए, नवम्बर 2013 में निविदा प्रक्रियाएं केवल आरंभ की गई थी। मई 2014 में मुख्य कार्यकारी ने ई-निविदा पूछताछ को अनुमोदित किया और जून 2014 में निविदाएं सौंपी गई।

कम्पनी ने कहा (जुलाई 2015) कि अन्य एक और वर्ष हेतु मौजूदा ठेके का संभावित विस्तार नहीं किया गया।

कम्पनी का उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि इसने ठेके को अंतिम रूप देने में विलम्ब को रोकने के लिए निविदाकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ नहीं किया।

6.1.3.3 सब्सिडी का दावा और प्राप्ति

(क) मूल्य सब्सिडी के दावे और प्राप्ति में विलम्ब

(i) एफएसीटी के संबंध में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने एफएसीटी के संबंध में विलम्ब में निम्नलिखित पाया कि:

(क) सरकार के साथ '85 *प्रतिशत* ऑन एकाऊंट' दावे करने में कम्पनी की ओर से विलम्ब हुआ। उर्वरक विभाग (डीओएफ) द्वारा आपूर्ति योजना को नियमित करने में विलम्ब और दावों को प्रमाणित करने में सांविधिक लेखापरीक्षक की ओर से विलम्ब के कारण विलम्ब हुआ। उर्वरक निगरानी तंत्र (एफएमएस) में सब्सिडी दावे करने के लिए, जिलों में उर्वरकों की आपूर्ति योजना के अनुसार की जानी है और आपूर्ति योजना से विपथन के मामले में, आपूर्ति योजना का नियमितीकरण आवश्यक है। ओवरड्राफ्ट सुविधाओं पर कम्पनी के निर्भर होने के कारण 85 *प्रतिशत* मूल्य सब्सिडी के दावों में विलम्ब के परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उत्पादन और प्रमाणीकरण हेतु 15 दिनों की अनुग्रह अवधि प्रदान करने के बाद ₹ 8.28 करोड़ (14 *प्रतिशत* पर) के ब्याज का परिहार्य भार उठाना पड़ा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	**राशि (₹ करोड़ में)**	**विलम्ब (दिनों में विलम्ब)**	**ब्याज में हानि (₹ करोड़ में)**
2012-13	502.44	10 - 106	5.94
2013-14	162.44	12 - 49	0.86
2014-15	252.63	5 - 29	1.48
कुल			**8.28**

लेखापरीक्षा में 36 महीनों में से 12 (33 *प्रतिशत*) हेतु दावों की नमूना जांच से नम्नलिखित का पता चला:

- मासिक योजना में अमोनियम सल्फेट की आपूर्ति के लिए मात्राएं बांटने के लिए एफएमएस साईट में कोई प्रावधान नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप अमोनियम सल्फेट के लिए अनुमोदित आपूर्ति योजना का अभाव रहा। अमोनियम सल्फेट के प्रचालन को बाद में डीओएफ द्वारा अनुमोदित किया जाना था जिसके कारण अमोनियम सल्फेट के प्रति सब्सिडी का दावा करने और प्राप्त करने में विलम्ब हुआ। चूँकि उद्योगमंडल डिवीजन में उत्पादित फैक्टामफोस और अमोनियम सल्फेट एक लाइसेंस के अंतर्गत आता है, अमोनियम सल्फेट की आपूर्ति योजना के अनुमोदन में विलम्ब के परिणामस्वरूप उद्योग मंडल डिवीजन में उत्पादित फैक्टामफोस हेतु सब्सिडी के दावे में विलम्ब हुआ।

- 12 महीनों में से चार में, एफएसीटी आपूर्ति योजना के प्रति वास्तविक मात्राएं समय पर[1] डीओएफ को सूचित नहीं कर सकी, जिससे आपूर्ति योजना को वास्तविक आंकडों के साथ नियमित किया जा सके और दावे किये जा सके।

- दो महीनों के लिए सब्सिडी दावों में, आपूर्ति योजना से वास्तविक आंकड़ों का अंतर केवल 317.75 एमटी और 602.35 एमटी था। अत: आपूर्ति योजना के नियमन के परिणामस्वरूप सब्सिडी के दावे में विलम्ब हआ, कम्पनी को आपूर्ति योजना में परिवर्तन से बचना चाहिए था।

- यद्यपि आपूर्ति योजना के प्रति वास्तविक उर्वरकों के प्रचालन समय पर डीओएफ को सूचित किया जाता है, आपूर्ति योजना का नियमन डीओएफ द्वारा विलम्बित कर दिया गया और दावे तैयार करने में भी विलम्ब हुआ।

(ii) उर्वरकों की आपूर्ति के एक महीने के अंदर बिक्री को पूरा न करने, अंतिम रूप देने में कमी और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरन में विलम्ब के कारण कम्पनी द्वारा ₹ 59.14 करोड़ की 15 *प्रतिशत* बकाया सब्सिडी राशि के दावे में छ: दिनों से 636 दिनों तक का विलम्ब हुआ। इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2012 तक 25 से 636 दिनों के बीच तक विलम्ब के कारण ₹ 2.37 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।.

(iii) ₹ 163.12 करोड़ की राशि नवम्बर 2012 से 15 *प्रतिशत* बकाया सब्सिडी डीओएफ द्वारा एमएफएमएस[1] के डाटा के गैर-स्थानांतरण के कारण समय पर कम्पनी द्वारा दावा नहीं किया जा सका।

वर्ष	**राशि (₹ करोड़ में)**	**विलम्ब (दिनों की रेंज)**
2012-13(नवम्बर 2012 से)	39.84	518-638
2013-14	99.69	310 -522
2014-15	23.59	187 - 279
कुल	**163.12**	

[1] ***डीओएफ की आपूर्ति योजना के प्रति उचित वास्तविक आंकड़ों को सूचित करने में 10 दिनों से अधिक विलम्ब***

[2] ***मोबाईल उर्वरक निगरानी तंत्र***

(iv) 31 मार्च 2015 तक, ₹ 448.22 करोड़ की सब्सिडी राशि सरकार (2008-09 हेतु ₹ 1.16, 2009-10 हेतु ₹ 2.35 करोड़, 2010-11 हेतु ₹ 0.47 करोड़, 2011-12 हेतु ₹ 0.44 करोड़, 2012-13 हेतु ₹ 40.51 करोड़, 2013-14 हेतु ₹ 111.52 करोड़ और 2014-15 हेतु ₹ 291.77 करोड़) से प्राप्त की जानी बकाया थी।

कम्पनी ने कहा (दिसम्बर 2015) कि अमोनियम सल्फेट हेतु प्रस्तावित आपूर्ति योजना के प्रस्तुतीकरण एफएमएस में सुसाध्य नहीं थे और इसलिए डीओएफ द्वारा नियमन संपूर्ण आपूर्त मात्रा हेतु प्रत्येक महीने आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति योजना के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति के कारण उत्पादों को वहां डम्प कर दिया जाता, जहां मांग कम थी, जिसका बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता; इसलिए वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर संशोधित आपूर्त योजना का प्रस्तुतीकरण अवश्यंभावी था और अनुवर्ती विलम्ब अपरिहार्य था। उर्वरकों की प्राप्ति की पावती 15 *प्रतिशत* बकाया सब्सिडी के दावे के लिए एमएएमएस में रिटेलरों द्वारा की जानी है और डाटा एफएमएस को स्थानांतरित किया जाना है चूँकि एफएमएस साईट से केवल दावे तैयार किये जा सकते थे। पूरी की गई बिक्री के संबंध में नवम्बर 2012 में डीओएफ एमएफएमएस से एमएफएमएस तक डाटा के गैर-स्थानांतरण के कारण बकाया 15 *प्रतिशत* सब्सिडी के दावे में विलम्ब हुआ।

कम्पनी का उत्तर निम्नलिखित तथ्यों के प्रति देखा जाएगा:

- कम्पनी का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि इसने महीने के अंत से 10 दिनों की अनुग्रह अवधि प्रदान करने के बाद सात से 28 दिनों के बाद डीओएफ (12 मामलों में से 4 में) को सूचित किये।

- एफएमएस में अमोनियम सल्फेट हेतु आपूर्त योजना के गैर-समावेशन सब्सिडी का दावा करने में विलम्ब कम करने के लिए डीओएफ के साथ नहीं किया गया था।

(ii) एमएफएल के संदर्भ में विलम्ब

उर्वरक मंत्रालय (तिथि 12 मार्च 2009 आदेश सं. 19011/59/2003-एमपीआर (पीटी.)) की नीति के अनुसार उत्पादक निर्माण/आयातक कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा उक्त के प्रमाणीकरण के आधार पर एफएमएस[1] में प्रोफार्मा ए और सी की अपलोडिंग पर राज्य/संघ शासित प्रदेश के जिले में उत्पादों के पहुँचने के आधार पर 85 *प्रतिशत* (एनपीके) और 95 *प्रतिशत* (यूरिया) के ''ऑन एकाऊंट' भुगतान का दावे कर सकेंगे। संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश को एक महीने के अंदर प्रोफार्मा बी में उर्वरक

[1] *उर्वरक निगरानी प्रणाली*

प्राप्ति का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। उत्पादक एफएमएस में प्रोफार्मा डी अपलोड किये जाने पर बकाया सब्सिडी का दावा कर सकते थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- 31 मार्च 2015 तक ₹ 740.12 करोड़ की सब्सिडी राशि सरकार (2012-13 हेतु ₹ 45.26 करोड़, 2013-14 हेतु ₹ 176.08 करोड़ और 2014-15 हेतु ₹ 518.77 करोड़) से प्राप्त की जानी शेष थी।

- कम्पनी ने केवल 2015 में अक्टूबर 2013 से मई 2014 की अवधि हेतु ₹ 5.02 करोड़ हेतु मूल्य कटौती सब्सिडी (पीसीएस) से संबंधित बकाया 15 *प्रतिशत* सब्सिडी हेतु डाटा तैयार किया और अब भी दावा किया जाना है (दिसम्बर 2015)।

- यूरिया हेतु पांच *प्रतिशत* बकाया राशि के रूप मे ₹ 67.41 करोड़ हेतु दावा राज्य सरकार (दिसम्बर 2015) से प्रमाणीकरण के लिए किया जाना शेष था।

(ख) प्रणाली को अद्यतित करने में विफल रहने के कारण मालभाड़ा सब्सिडी दावे करने में विलम्ब (एफएसीटी)

कम्पनी संबंधित राज्यों/जिलों से रेलवे द्वारा आगे के परिवहन हेतु ट्रक/लोरी द्वारा उद्योगमंडल संयंत्र से कलमास्सरी रेलहैड तक उर्वरक (एफएसीटीमफोस और अमोनियम सल्फेट) का परिवहन करती है। यह प्राथमिक माल भाड़े (संयंत्र से संबंधित राज्य/जिलों तक) का रूप होने कारण, कम्पनी माल भाड़ा सब्सिडी के लिए अर्हक है। मार्च 2009 से, मालभाड़ा दावा करना एफएमएस द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया था। तथापि, एफएमएस में उक्त परिवहन के लिए मालभाड़ा सब्सिडी का दावा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, कम्पनी ने इन सब्सिडियों के लिए मैन्यूल दावों को प्राथमिकता दी पर उन्हें डीओएफ द्वारा नहीं माना गया था। इस संबंध में मार्च 2009 तक प्राप्य मालभाड़ा राशि ₹ 8 करोड़ थी।

कम्पनी ने कहा (दिसम्बर 2015) कि डीओएफ का अनुमोदन परिवहन अद्यतन की सुविधा में सहयोग के लिए आवश्यक था और मालभाड़ा दावे सुविधा प्राप्त होने के बाद ही एफएमएस द्वारा किये जा सकते थे। मामला डीओएफ में भेजा गया है और यह असंभाव्य था कि जल्द ही एफएमएस प्रणाली में परिवर्तन किये जाएंगे।

(ग) सड़क मालभाड़ा की कम वसूली (एमएफएल)

उर्वरक विभाग की नीति के अनुसार, रेल और सड़क द्वारा उर्वरकों के प्रचालन का अनुपात 80:20 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, डीओएफ नीति ने बताया कि कम्पनी रेल मालभाड़े के समान प्राथमिक सड़क मालभाड़े के लिए सब्सिडी प्राप्त करेगी। प्राथमिक सड़क मालभाड़ा सदैव रेल मालभाड़े से अधिक थे और इसलिए जितना अधिक सड़क द्वारा उर्वरक स्थानांतरित किया जाएगा उतना ही अधिक मालभाड़ा सब्सिडी की कम वसूली होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान सड़क द्वारा 43 से 68 *प्रतिशत* के बीच उर्वरकों को स्थानांतरित किया। इसके अतिरिक्त, सड़क द्वारा उर्वरकों के बढ़ते प्रचालन के कारण ₹ 12.41 करोड़ की मालभाड़ा सब्सिडी राशि की कम वसूली हुई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**2014-15**	**2013-14**	**2012-13**
यूरिया	3.20	3.42	2.02
एनपीके	2.25	0.43	1.09
कुल	**5.45**	**3.85**	**3.11**

6.1.3.4 अन्य बिंदु

(क) यूरिया प्रहस्तन कार्यक्रम के गैर-आबंटन के कारण कोच्ची पोर्ट पर अवसंरचना का निष्क्रिय पड़े रहना (एफएसीटी)

भारत सरकार ने 2012-13 से तीन वर्षों की एक अवधि हेतु कोच्ची पोर्ट से एफएसीटी को यूरिया प्रहस्तन कार्यक्रम सौंप दिया (मई 2012)। लेखापरीक्षा ने पाया कि

(i) ठेका देने के बावजूद, यूरिया का कोई आबंटन मई 2012 से दिसम्बर 2015 तक कोच्ची पोर्ट को नहीं किया गया था जिसके कारण कोच्ची पोर्ट पर अधिकतर एफएसीटी लिमि. की अवसंरचनाओं का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा सका। यूरिया के गैर-आबंटन डीओएफ के साथ कम्पनी के अनुसरण की कमी के कारण था, जिसकी निम्नलिखित तथ्यों द्वारा पुष्टि की जा सकती है:

- एफएसीटी एक मात्र कम्पनी है; जिसने पूर्ववर्ती वर्षों (2008-09, 2009-10 और 2011-12) के दौरान आबंटन प्राप्त हुआ था और 2012-13 से 2014-15 की अवधि हेतु कोई आबंटन प्राप्त नहीं हुआ था।
- कम्पनी ने किसी यूरिया आबंटन के बिना लगभग 2 वर्षों के बाद भी केवल कोच्ची पोर्ट से यूरिया के गैर-आबंटन के बारे में बोर्ड (29 जनवरी 2014 की 459वीं बोर्ड बैठक) को अवगत कराया।
- 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान केरल में क्रमश:1.36 लाख एमटी, 1.44 लाख एमटी, और 1.36 लाख एमटी की यूरिया बिक्री हुई। चूँकि केरल में कोई यूरिया उत्पादक/आयातक नहीं है, इसलिए यूरिया को अन्य राज्यों से आपूर्त कराना पड़ा।
- कम्पनी ₹ 50 लाख की बैंक गारंटी देने में विफल रही जो ठेके देने के लिए आवश्यक थी; और

(ii) 31 मार्च 2012 तक 1.35 लाख यूरिया बैंग के स्टॉक के बावजूद, एफएसीटी ने जनवरी 2013 (जिसे जनवरी 2014 में सुपूर्द किया गया) में चार लाख यूरिया बैग का आदेश दिया यद्यपि यूरिया प्रहस्तन संचालन ठेके के पहले दो वर्षों के दौरान कम्पनी को आबंटित नहीं किये गये थे। यूरिया बैंग की इस खरीद के कारण मार्च 2016 तक ₹ 96 लाख तक इन बैग की लागत को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद यह पाया गया कि एफएसीटी द्वारा भविष्य से इन बैगों के उपयोग के अवसर कम है क्योंकि कम्पनी ने 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए यूरिया प्रहस्तन, नीम कोटिंग और आयातित यूरिया शिपमैंट के विपणन हेतु एनआईटी के प्रति डीओएफ के लिए अपनी बोली प्रस्तुत नहीं की है। कम्पनी को कोचीन पोर्ट पर आवश्यक नीम कोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करना व्यवहार्य नहीं लगा। यूरिया आबंटन हेतु निविदा में कम्पनी की गैर-भागीदारी यूरिया बैगों की संभाव्य गैर-उपयोगिता की ओर इशारा करती है।

कम्पनी ने यह विचार दिया (दिसम्बर 2015) कि लाभप्रद यूरिया संचालन डीओएफ के अनुसरण की कमी के कारण कम्पनी को आबंटित नहीं किये गये थे। कम्पनी ने भी यह कहा कि वे यूरिया वैसल के रख-रखाव के लिए प्रतिबद्ध हैं जब भी उन्हें ठेके के अनुसार शीघ्र सूचना के आधार पर डीओएफ द्वारा आबंटित किया जाएगा और बैगिंग यूरिया हेतु बैगों का पर्याप्त स्टॉक खरीदना और अनुरक्षण करना आवश्यक था।

कम्पनी के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाए कि इसके पास अत्यावश्यक उपयोग हेतु 31 मार्च 2012 को बोरियों का पर्याप्त भण्डार था इसने ठेका दिए जाने के लगभग दो

वर्षो के बाद यूरिया की बोरियां खरीदी। कम्पनी को अतिरिक्त बोरियों को यूरिया के आबंटन हेतु डीओएफ से आश्वासन/कोच्ची पत्तन को यूरिया के आबंटन के मामले में ही खरीदना चाहिए था।

(ख) लॉजिस्टिक्स योजना में अपर्याप्तायें (एमएफएल)

उर्वरकों के वितरण/संचलन हेतु भाड़ा सब्सिडी में प्राथमिक भाड़ा (संयंत्र अथवा पत्तन से रेल द्वारा विभिन्न रेक बिन्दुओं तक) और द्वितीयक संचलन (सड़क द्वारा नजदीकी रेक बिन्दुओं से जनपदों में ब्लॉक मुख्यालयों तक) शामिल था। प्रतिपूर्ति की गई द्वितीयक भाड़ा सब्सिडी की मात्रा यूरिया के संबंध में औसत जनपद दूरियों के आधार पर थी जबकि मिश्रित उर्वरकों के लिए इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। एफओएल (फ्री ऑन लॉरी) ठेकों के माध्यम से कम्पनी द्वारा वहन किए गए द्वितीयक परिवहन प्रभार का मूल्य डीओएफ द्वारा प्रतिपूर्त व्यय से अधिक था और लेखापरीक्षा के तहत शामिल की गई तीन वर्ष की अवधि के दौरान यूरिया के संबंध में ₹ 15.48 करोड़ की वसूली का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	**उत्पाद**	**एफओएल के प्रति किया गया व्यय (₹)**	**द्वितीयक मूल्य के प्रति भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्त व्यय (₹)**	**द्वितीयक मूल्य पर कम वसूली (₹)**
1	2	3	4	5
2012-13	यूरिया	8.83	3.49	-5.34
2013-14	यूरिया	10.34	4.29	-6.05
2014-15	यूरिया	6.79	2.70	-4.09
कुल		**25.96**	**10.48**	**-15.48**

कम्पनी ने उर्वरकों के द्वितीय संचलन में मितव्ययिता की संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को पर्याप्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। अत: लेखापरीक्षा यह निष्कर्ष नहीं दे सकती कि क्या ₹ 15.48 करोड़ की कम वसूली परिहार्य थी।

निष्कर्ष

कम्पनियों ने उत्पादन और बिक्री की प्रभाविता हेतु एमओयू लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। कम्पनियों का मार्केटिंग निष्पादन पूर्णतया निराशाजनक था जैसे- बैंकरों द्वारा घटिया रेटिंग और उनके द्वारा उच्चतर दरों पर ब्याज लगाना आदि। दावा करने और भारत सरकार से सब्सिडी के अनुपालन में विलम्ब था, जिसके कारण कम्पनियों को नकदी संकट का सामना करना पड़ा। लेखापरीक्षा ने बोली के अन्तिम रूप देने में सीवीसी दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन के मामले भी देखे।

सिफारिशें

निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

- ***एमएफएल को एनपीके संयंत्र के कम उपयोग का मुद्दा सरकार के साथ उठाना चाहिए।***
- ***दोनों कम्पनियों को एमओयू उत्पादन एवं बिक्री लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।***
- ***कम्पनियों को सीवीसी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए तथा निविदाकरण की सभी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पारदर्शी एवं निष्पक्ष हैं।***
- ***कम्पनियों को उर्वरक विभाग, भारत सरकार की आवश्यकताओं पर एक अनुवर्ती निगरानी तंत्र बनाना चाहिए ताकि सब्सिडी के दावे में विलम्ब को कम करने हेतु तटस्थ कदम उठाया जा सके एवं बकाया सब्सिडी जारी किया जा सके।***
- ***द्वितीयक उर्वरक संचलन की मितव्ययिता का मूल्यांकन और कम वसूली में कमी करने के लिए लॉजिस्टिक योजनाओं का पर्यास अभिलेख बनाया जाए।***

मामला फरवरी 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड

6.2 भूमि को पट्टे पर लेने पर निष्फल व्यय

विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट से भूमि को पट्टे पर लेने पर ₹ 9.02 करोड़ का निष्फल व्यय और ₹ 2.67 करोड़ की ब्याज की हानि हुई

राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (आरसीएफ) के निदेशक मंडल ने लगभग 80000 एमटी के भंडार क्षेत्र के निर्माण के लिए 30 वर्षों की अवधि के लिए विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) से पट्टे पर 10 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का निर्णय लिया (जुलाई 2007), जिसका आरसीएफ कार्गों के भंडारण हेतु पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकता था। यह प्रस्ताव निम्नलिखित पर आधारित था:

(i) 2005-06 और 2006-07 के दौरान विजाग और तूतीकोरिन में पोटाश लवण (एमओपी) और डी अमोनियम फास्फेट (डीएपी) की 1.25 लाख एमटीज प्रत्येक का आयात अर्थात 2.50 लाख एमटी प्रति वर्ष।

(ii) कम्पनी को भारत सरकार की तरफ से अन्य दो वर्षों के लिए विस्तारणीय तीन वर्षों के लिए यूरिया प्रबंधन प्रचालन का प्रस्ताव दिया गया था।

(iii) भंडारण, परिवहन और परेषण के आधार पर समस्त बचत, अवसंरचना के विकास के बाद ₹ 100 प्रति एमटी से अधिक अपेक्षित थी। समस्त निवेश प्रबंध की गई मात्रा के आधार पर दो वर्षों की अवधि में वसूली हेतु अपेक्षित था।

आरसीएफ ने वीपीटी को अक्तूबर 2007 में ₹ 7.65 करोड़ (अपफ्रंट लीज प्रीमियम के प्रति ₹ 7.24 करोड़, अवसूली योग्य प्रीमियम के प्रति ₹ 0.40 करोड़, वार्षिक किराए के प्रति ₹ 0.004 करोड़ और वसूलीयोग्य प्रतिभूति जमा के प्रति ₹ 0.004 करोड़) का भुगतान किया था। इसके अतिरिक्त आरसीएफ ने अप्रैल 2009 और मार्च 2014 के बीच पंजीकरण प्रभारों, वार्षिक न्यूनतम किराया आदि के प्रति ₹ 1.37 करोड़ का व्यय किया था। इस प्रकार, भूमि को पट्टे पर लेने पर हुआ कुल व्यय ₹ 9.02 करोड़ था। आरसीएफ ने जनवरी 2008 में भूमि का अधिग्रहण किया और वीपीटी के साथ पट्टा करार भी किया (जून 2009) था।

आरसीएफ ने भूमि के अधिग्रहण के पश्चात संयुक्त उद्यम अवधारणा पर पट्टा भूमि के विकास हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए (सितम्बर 2010)। तथापि, निविदा को वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली और संयुक्त उद्यम एप्रोच को जारी न रखने बल्कि भांडागार निर्माण, प्रचालन एवं स्थानांतरण (बीओटी) आधार पर संबंधित सुविधाओं को विकसित करने का

निर्णय लिया गया (अप्रैल 2011)। तथापि, बीपीटी ने यह कहते हुए अनुमति देने से मना कर दिया (अगस्त 2011) कि बीओटी आधार पर भांडागारों के विकास हेतु सरकारी दिशानिर्देशों में कोई प्रावधान नहीं हैं। कंपनी स्वयं भांडागार के निर्माण को शुरू करने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2011) और खुली निविदा के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए (नवम्बर 2012)। न्यूनतम प्रस्ताव पर आधारित अनुमानित व्यय ₹ 15.56 करोड़ था। तथापि, आंतरिक व्यवहार्यता अध्ययन से पता चला कि भांडागार का प्रस्तावित निर्माण व्ययहार्य नहीं था क्योंकि पोर्ट पर परिवहन में निकटवर्ती गंगावरम पोर्ट में परिवहन में विचलन के कारण काफी कमी आई थी। परियोजना को छोड़ दिया गया (जुलाई 2013) और इसकी बजाय कंटेनर मालभाड़ा स्टेशन की स्थापना की संभावना खोजने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना को भी तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। तब आरसीएफ ने फोटोवोल्टेक सोलर पावर उत्पादन सुविधा के प्रतिष्ठापन का प्रस्ताव रखा, यह भी कार्यान्वित नहीं हुई क्योंकि वीपीटी ने अनुमति नहीं दी थी।

पट्टा करार में आरसीएफ से पट्टा करार के 18 माह की अवधि या वीपीटी द्वारा दिए गए अतिरिक्त समय के अंदर सुविधाएं विकसित करना अपेक्षित था जिसमें विफल रहने पर पोर्ट किसी सूचना के बिना पट्टा करार को समाप्त कर सकता है। वीपीटी ने आरसीएफ को तत्काल भूमि खाली करने और रिक्त अधिग्रहण को वापस वीपीटी को सौपने की सूचना दी (जनवरी 2015) तथा यह भी बताया कि इस संबंध में और अधिक पत्राचार नहीं किया जाएगा। वीपीटी ने यह भी सूचना दी (नवम्बर 2015) कि पट्टा करार किसी प्रतिदाय या मुआवजे का प्रावधान नहीं करता, यदि पट्टा को चूक या पट्टा शर्तों का पालन करने में विफलता के आधार पर समाप्त कर दिया गया हो। आरसीएफ ने अपनी चल परिसम्पति सूची से पट्टा भूमि को हटा दिया तथा 2014-15 के दौरान ₹ 6.73 करोड़ के शेष कैरियिंग वाल्यू को चार्जआफ कर दिया।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(i) आरसीएफ द्वारा किए गए व्यवहार्यता अध्ययन में केवल प्रक्षेपित वित्तीय निष्पादन शामिल किए गए थे और यह कार्गो की अपेक्षित मात्रा का और कार्गो मात्रा पर निर्माणाधीन मौजूदा काकीनाडा पोर्ट और गंगावरम पोर्ट के प्रभाव का वास्तविक अनुमान लगाने जैसे अन्य महत्वपूर्ण व्यवहार्यता कारकों पर विचार करने में विफल रहा।

(ii) बोर्ड के समक्ष विजाग, तूतीकोरिन एवं कांडला पोर्ट पर भांडारागार के निर्माण का प्रस्ताव रखते समय विजाग एवं तूतीकोरिन पोर्ट पर प्रति वर्ष 2.50 एमटी

एमओपी एवं डीएपी के आयात से अवगत था। केवल वीपीटी पर वास्तविक आयात 2005-06 और 2006-07 के दौरान क्रमश: केवल 47144 एमटीज तथा 65987 एमटीज था, जिस पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया था।

(iii) बोर्ड को सूचना दी गई कि कम्पनी को भारत सरकार की तरफ से दो वर्षों के संभावित विस्तारण के साथ तीन वर्षों के लिए आयातित यूरिया प्रंबधन प्रचालनों का प्रस्ताव दिया गया है। बोर्ड को सूचना दी गई कि तीन पोर्टों अर्थात विजाग, तूतीकोरिन और कांडला में कुल अपेक्षित आयात मात्रा 15 लाख एमटी प्रति वर्ष थी बिना यह तथ्य दर्शाए कि वीपीटी के लिए यूरिया प्रबंधन ठेका आरसीएफ को नहीं दिया गया था।

(iv) निदेशक मंडल ने या तो कम्पनी द्वारा स्वंय या बोल्ट जैसे किसी अन्य प्रबंधन, जैसा भी व्यवहार्यता हो, द्वारा निर्माण के लिए अध्यक्ष तथा प्रबंधन निदेशक को अधिकृत किया (जुलाई 2007) किंतु कम्पनी ने इस संबंध में वीपीटी से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा था। भूमि को पट्टा पर लेने के पश्चात ही कम्पनी ने बीओटी आधार पर भांडागार विकसित करने के लिए अनुमति देने हेतु वीपीटी को कहा जिसके लिए वीपीटी ने इन्कार कर दिया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि जेवी या बीओटी के माध्यम से भंडारण सुविधा को विकसित करने के लिए मूर्त रूप न दिए जाने के बाद, आरसीएफ ने इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन किए बिना भांडागार का स्वयं निर्माण करने के लिए बोलियां आमंत्रित की थी (नवम्बर 2012)। व्यवहार्यता अध्ययन, जोकि बोलियां आमंत्रित करने के बाद ही किया गया था (जून 2013), से पता चला कि कम्पनी द्वारा भांडागार का स्वयं निर्माण करना व्यवहार्य नहीं था।

प्रबंधन तथा मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2016) कि विजाग पोर्ट ट्रस्ट की अवसंरचना में निवेश करना आरसीएफ की यूरिया, रॉक फास्फेट, पोटाश और अन्य रसायनों के प्रत्याशित बढ़े हुए आयातों के लिए जो देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरसीएफ से अपेक्षित था, के प्रबंधन के लिए बनाई गई बैकवर्ड समेकन योजना थी। आरसीएफ ने भूमि के अधिग्रहण के पश्चात विजाग भूमि का उपयोग करने के लिए विभिन्न उपाय किए किंतु आगामी विकास भारत सरकार, पोर्ट और आरसीएफ की परिकल्पित योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़े और भूमि का उनके नियंत्रण से परे अप्रत्याशित कारकों और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद व्यवहार्यता मामलों के कारण वाछिंत उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सका था। उन्होंने आगे बताया कि यदि भांडागार का निर्माण बड़ी निधि के निवेश द्वारा किया जाता, और ये निष्क्रिय पड़े रहते तथा

कम्पनी को भांडागार के निर्माण, इसके रखरखाव हेतु किए गए व्यय के अलावा अन्य पोर्टों (क्योंकि दरे कम थी) के माध्यम से आयात पर व्यय जारी रखना पड़ता। उन्होंने बताया कि उन्होनें राशि के प्रतिदाय के लिए कहा है और मामले को शिपिंग मंत्रालय को भी भेजा है तथा प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

प्रबंधन और मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूमि को पट्टे पर लेने का निर्णय गलत, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई और अपर्याप्त सूचना पर आधारित था। संयुक्त उद्यम, निर्माण प्रचालन हस्तांतरण आधार, सुविधाओं के स्वयं निर्माण पर भूमि के उपयोग के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों ने दर्शाया कि उनके पास पट्टा की संस्वीकृत अवधि में आयात प्रबंधन सुविधाओं के लिए कोई मूर्त योजना नहीं थी। सीमित व्यवहार्यता अध्ययन में भी भंडारण सुविधा के निर्माण/उपयोग की संभावित अपेक्षा की जांच नहीं की गई थी।

इस प्रकार, विजाग पोर्ट ट्रस्ट में भांडागार सुविधाओं के विकास और पट्टा पर ली गई भूमि के उपयोग के लिए अपर्याप्त योजना के परिणामस्वरूप ₹ 2.67 करोड़ की ब्याज हानि (अक्तूबर 2007 से मार्च 2015) (प्रत्येक वर्ष हेतु न्यूनतम नियत जमा ब्याज दरों के आधार पर) के अलावा ₹ 9.02 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ था। वीपीटी को भुगतान किए गए अग्रिम पट्टा प्रीमियम के प्रतिदाय को प्राप्त करने के आरसीएफ के प्रयास निराशाजनक प्रतीत होते है क्योंकि पोर्ट ने ₹ 7.65 करोड़ की वापसी से इन्कार कर दिया है, चूंकि पट्टा स्थितियों का पालन न करने में विफलता के कारण पट्टा समाप्त कर दिया गया था।